	राजस्थान राजपत्र विशेषांक	**RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary**
सत्यमेव जयते	साअधिकार प्रकाशित	*Published by Authority*
	पौष 5, गुरूवार, *शाके* 1941–दिसम्बर 26, 2019	
	Pausa 5, Thursday, Saka 1941–December 26, 2019	

भाग 4 (ग)

उप- खण्ड (I)

राज्य सरकार तथा अन्य राज्य प्राधिकारियों द्वारा जारी किये गये (सामान्य आदेशो, उप- विधियों आदि को सम्मिलित करते हुए) सामान्य कानूनी नियम।

कार्मिक विभाग

क-ग्रुप-2

अधिसूचना

जयपुर, अक्टूबर 21, 2019

जी.एस.आर.71 :-भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राजस्थान के राज्यपाल, राजस्थान लोक सेवा आयोग (लिपिकवर्गीय तथा अधीनस्थ सेवा) नियम तथा विनियम, 1999 को और संशोधित करने के लिए, इसके द्वारा निम्नलिखित नियम तथा विनियम बनाते हैं, अर्थात्:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.- (1) इन नियमों का नाम राजस्थान लोक सेवा आयोग (लिपिकवर्गीय तथा अधीनस्थ सेवा) नियम तथा विनियम (**I** संशोधन) नियम, 2019 है।

(2) ये तुरन्त प्रभाव से प्रवृत्त होंगे।.

2. अनुसूची- I का संशोधन.- राजस्थान लोक सेवा आयोग (लिपिकवर्गीय तथा अधीनस्थ सेवा) नियम तथा विनियम, 1999 से संलग्न अनुसूची- **I** में, शीर्ष ग्रुप-क के अधीन, क्रम संख्यांक **3** के सामने स्तंभ संख्यांक **6** की मद संख्यांक ख में,-

(**i**) अंतिम पैरा में विद्यमान अभिव्यक्ति "राजस्थान नॉलेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड के नियंत्रणाधीन सूचना प्रौद्योगिकी में प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम (रा.रा.सू.प्रौ.प्र.पा.) ।" के स्थान पर अभिव्यक्ति "राजस्थान नॉलेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड के नियंत्रणाधीन सूचना प्रौद्योगिकी में प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम (रा.रा.सू.प्रौ.प्र.पा.) :" प्रतिस्थापित की जायेगी; और

(**ii**) इस प्रकार संशोधित अंतिम पैरा के पश्चात् निम्नलिखित परन्तुक जोड़ा जायेगा, अर्थात्:-

"परन्तु राजस्थान मृत सरकारी कर्मचारियों के आश्रितों को अनुकम्पात्मक नियुक्ति नियम, 1996 के अधीन चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के पद पर नियुक्त विधवा को इन नियमों के उपबंधों के अधीन पदोन्नति के मामले में कम्प्यूटर अर्हता से छूट होगी।"

[सं. एफ.7(2)डीओपी/ए- II/2006 पार्ट- III]

राज्यपाल के आदेश और नाम से,

जय सिंह,

शासन उप सचिव।

DEPARTMENT OF PERSONNEL

(A-GR.-II)

NOTIFICATION

Jaipur, October 21, 2019

G.S.R.71 .-In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 read with clause (b) of Article 318 of the Constitution of India, the Governor of Rajasthan hereby makes the following rules and regulations further to amend the Rajasthan Public Service Commission (Ministerial and Subordinate Services) Rules and Regulations, 1999, namely:-

1. Short title and commencement.- (1) These rules and regulations may be called the Rajasthan Public Service Commission (Ministerial and Subordinate Services) (I Amendment) Rules and Regulations, 2019.

(2) They shall come into force with immediate effect.

2. Amendment of Schedule I.- In Schedule-I appened to the Rajasthan Public Service Commission (Ministerial and Subordinate Services) Rules and Regulations, 1999, under the heading Group-A, in item number B of column number 6 against serial number 3;

(i) in the last para, for the existing expression "Rajasthan Knowledge Corporation Limited.", the expression "Rajasthan Knowledge Corporation Limited:" shall be substituted; and

(ii) after the last para as so amended, the following proviso shall be added, namely:

"Provided that the widow appointed on the post of Class-IV employee under the Rajasthan Compassionate Appointment of Dependants of Deceased Government Servants Rules, 1996 shall be exempted from the Computer qualification in case of promotion under the provisions of these rules."

[**No. F.7(2) DOP/A-II/2006]**

BY ORDER AND IN THE NAME OF THE GOVERNOR,

JAI SINGH,

DEPUTY SECRETARY TO THE GOVERNMENT.

Government Central Press, Jaipur.